न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांकः 16.04.2024

मुकदमा नंबर 01/2023

ऑनलाईन नंबरः 2023/23

गोवरधनराम पुत्र गणेशाराम जाति मेघवाल निवासी देशनोक तहसील जिला बीकानेर।

—अपीलान्ट—

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बाकानेर।
2. आशी पुत्री गुलाराम पत्नि ईमरताराम जाति नायक निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल निवासी बजरंग धोरा के पास, पुगल रोड़, बीकानेर।
3. कानी पुत्री गुलाराम पत्नि शंकरलाल जाति नायक निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल निवासी भादला तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. तीजा पुत्री गुलाराम पत्नि जोगाराम जाति नायक निवासी जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ हाल निवासी श्यामनगर झोरड़ा के पास, तहसील व जिला नागौर।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
6. पदमा देवी पत्नि स्व. गुलाराम पत्नि हुकमाराम जाति नायक निवासी जाखासर हाल निवासी बोसेरी झोरड़ा जिला नागौर।

—रेस्पोडेन्टान—

उपस्थितिः—

1. श्री कैलाश सारस्वत अभिभाषक अपीलान्ट।
2. श्री मदनगोपाल स्वामी अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 3
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 04 स्वयं
4. एकतरफा कार्यवाही रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 6
5. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम जाखासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 4.5300 हैक्टेयर के खातेदार आशी, कानी, तीजा पुत्रीयां गुलाराम व पदमा देवी बैवा गुलाराम जातियान नायक निवासी जाखासर प्रत्येक 1/4—1/4 बहिस्सा बराबर के खातेदार थे। सहखातेदार आशी, कानी, तीजा पुत्रीयां गुलाराम ने अपीलाधीन रकबा खेत खसरा नम्बर 523 स्थित अपना 3/4 हिस्सा दिनांक 25.11.2022 को अपीलान्ट गोरवधनराम को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र को विक्रय कर कब्जा 3/4 हिस्सा का क्रेता (अपीलान्ट) को सौंप दिया। उक्त विक्रय के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा ईन्तकाल संख्या 308 दिनांक 29.11.2022 को दर्ज कर जांच हेतु दिनांक 13.12.2022 को भू—अभिलेख निरक्षक के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

पेश किया गया एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा अंकन सही है सत्यापित किया गया। तदापरोन्त ईन्तकाल संख्या 808 ग्राम पंचायत के समक्ष तस्दीक हेतु पेश किया तो ग्राम पंचायत जाखासर ने बिना कोई विधिक जांच कर कारण दर्शाये मात्र इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया " पाक्षीक बैठक दिनांक 21.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में निरस्त किया गया" जो कि कानूनी रूप से नियमो का उल्लघंन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है के विरूद्ध यह अपील अन्दर मियाद निम्न आधारो पर प्रस्तुत की गई कि जैर अपील ईन्तकाल संख्सा 808 दिनांक 29.11.2022 अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.12.2022 खिलाफ, कानून, रूएदाद मिसल, बिना कोई जांच किये पारित होने से विले खारिज है। व जैर अपील रकबा रोही ग्राम जाखासर खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 4.5300 हैक्टेयर संयुक्त खातेदार आशी, कानी, तीजा पुत्रीयां गुलाराम व पदमादेवी पत्नि स्व. गुलाराम जाति नायक निवासी जाखासर के नाम संयुक्त खातेदारी में 1/4–1/4 बहिस्सा बराबर दर्ज था खातेदार आशी, कानी, तीजा पुत्रीया गुलाराम ने अपने हिस्सा में दर्ज खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 523 में 3/4 हिस्सा कि सम्पूर्ण भूमि दिनांक 25.11.2022 जरिये पंजीकृत विक्रय–पत्र के अपीलान्ट को विक्रय कर कब्जा सौंप दिया था। उक्त विक्रय–पत्र के आधार पर ईन्तकाल संख्या 808 दिनांक 29.11.2022 को दर्ज कर पटवारी हल्का द्वारा अंकन सत्यापित हेतु भू–अभिलेख निरक्षक के समक्ष पेश किया गया, आई.एल. आर. ने दिनांक 13.12.2022 को अंकन सही होना सत्यापित कर दिया गया। उक्त कार्यवाही के बाद ईन्तकाल संख्या 808 तस्दीक हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पेश किया तो ग्राम पंचायत ने अपने आदेश में " पाक्षीक बैठक दिनांक 21.12.2022 के प्रस्ताव संख्या 2 की पालना में निरस्त किया गया" नोट अंकन करते हुए खारिज कर दिया गया जो गलत खारिज किया गया है जो एक तरफा तौर पर अपीलान्ट को बिना सूचना दिये रिकार्ड की प्रत्यक्ष त्रुटी करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो साम्य न्याय सिद्धान्तो के प्रतिकुल होने से काबिले खारीज है। जैर अपील आदेश कि जानकारी अपीलान्ट को तब हुई जब अपीलान्ट ने दिनांक 02.01.2023 को पटवारी हल्का से अपने खेत के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त की तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपके नाम कोई जमीन रिकार्ड में दर्ज नहीं है। आपके नाम दर्ज किया गया ईन्तकाल संख्या 808 दिनांक 21.12.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा खारिज कर दिया गया है। अतः अपीलान्ट [illegible] पेश कर अर्ज है कि अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत जाखासर आदेश दिनांक 21.12.2022 ईन्तकाल संख्या 808 ईन्तकाल रजिस्टर [illegible] किया जाकर बाद सुनवाई अधिनस्थ न्यायालय का आदेश जैर ईन्तकाल संख्या 808 को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के नाम रोही ग्राम जाखासर के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 4.5300 हैक्टेयर में 3/4 हिस्सा का मुताबिक विक्रय–पत्र दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

25.11.2022 के ईन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज करने आदेश रेस्पोडेन्ट संख्या 5 को प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिनी की उक्त अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 6 बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित नहीं होनें के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपीलान्ट की अपील पर आपति नहीं होना जाहिर किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 स्वयं उपस्थित होकर नोटेरी से तस्दीकशुदा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अपीलान्ट गोरधनराम के पक्ष में विक्रय पत्र अनुसार इंतकाल दर्ज करनें हेतु सहमति प्रदान की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 05 को जवाब पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किये जाने के कारण जवाब पेश करनें का अवसर बन्द किया गया। बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है।

आदेश

रोही ग्राम जाखासर के खेत खसरा नम्बर 523 रकबा 4.5300 हैक्टेयर के संबंध में दर्ज ईन्तकाल संख्या 808 दिनांक 29.11.2022 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 25.11.2022 के अनुसार ईन्तकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 16.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.05.15 13:32:08 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ